**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,**
**लखनऊ।**

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

**दिनांक 13.03.2023**

अभियुक्त योगेश कुमार द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–42 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–42 अभियुक्त योगेश कुमार की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–810/18 धारा धारा–147, 149,386, 329,420,467,468,471,394,506,सपठित धारा 120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया, तदुपरांत विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इंडिया में पारित आदेश के क्रम में विवेचना सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को दिनांक 26.12.2018 को अतीक अहमद(पूर्व एम.पी.) के सहयोगियों द्वारा उसे उसके घर से जबरन अपहरण करते हुए देवरिया जेल ले जाया और बलपूर्वक शिकायतकर्ता की 4 फर्मो को अपने सहयोगी फारूख व जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवा लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे मारते पीटते हुए उसकी कार को भी छीन ली गई। यह भी कथन किया गया कि शिकायतकर्ता की नियत पैसों को लेकर शुरू से ही खराब थी और उनके द्वारा पैसों का दुरूपयोग किया गया और जब शिकायतकर्ता के कार्यो का विरोध किया गया तो दुर्भावना से अतीक अहमद व उनके परिवार को गलत तरीके से उनके वित्तीय अधिकारों को समाप्त करने तथा शिकायतकर्ता के समक्ष झुकने के उद्वेश्य से झूंठे प्रकरण में फंसा दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दुरभावना से अतीक अहमद व उसके परिजनों पर उनके वित्तीय अधिकारों को समाप्त करने तथा शिकायतकर्ता के समक्ष झुक जाने के उद्वेश्य से पूर्व निर्धारित योजना के तहत झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता अतीक अहमद व उसके परिजन को पिछले 4–5 साल से जानता था। उसके पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होता था और कई अवसरों पर चैट के माध्यम से सन्देश आदान प्रदान करता था। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अतीक अहमद के परिजनों को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा अतीक अहमद की पत्नी को शिकायतकर्ता की कम्पनी में निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2016 में अतीक अहमद के परिजन द्वारा शिकायतकर्ता की कम्पनी में निवेश किया गया जिसे शिकायतकर्ता द्वारा एन.सी.एल.टी. इलाहाबाद बेंच में धारा 241/242 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका में स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर–विरोध होने के कारण आवेदक के विरूद्व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। सह अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख सह अभियुक्तगण को शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं ही कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था और इस सम्बन्ध में उसकी आडिटर राखी कपूर के द्वारा सम्बन्धित फार्म आरओसी पर अपलोड किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा कम्पनी ला ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई याचिका में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अतीक अहमद की पत्नी कम्पनी में 25 प्रतिशत की शेयर

होल्डर है। सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्वीन शिकायतकर्ता से प्रस्तुत मामले की घटना के दिनांक 26.12.2018 से 3–4 वर्ष पूर्व से ही परिचित था। सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्वीन द्वारा स्थानीय पुलिस के समक्ष यह कथन किया गया था कि वह शिकायतकर्ता का सहयोगी था और उसकी कम्पनी में ही काम करता था तथा कम्पनी के लिए जमीन क्रय करने में मदद करता था।वह शिकायतकर्ता के सभी जमीन क्रय विक्रय के मामलो में साक्षी बनता था, जो कि स्वयं शिकायतकर्ता के कथन से ही स्पष्ट है। यह भी कथन किया गया था कि उसके द्वारा ही वर्ष 2015 में मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद से शिकायतकर्ता से परिचय कराया गया था। सह अभियुक्त इरफान शिकायतकर्ता का ड्राइवर था और शिकायतकर्ता के ही निर्देश पर ही उसकी कार सिल्वर हाइट अपाटमेंट में पार्क की गई थी। कम्पनी अधिकरण में शिकायतकर्ता द्वारा शपथपत्र पर यह स्वीकार किया गया था कि वह स्वयं देवरिया जेल जाने के लिए सहमत हुआ था। शिकायतकर्ता गुलाम सरवर से भी भली भांति पूर्व से परिचित था। आवेदक अभियुक्त का शिकायतकर्ता की कम्पनी व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर–विरोध से कोई लेनादेना नहीं था। शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण तथा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके विरूद्व दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। अभियुक्त आवेदक योगेश कुमार द्वारा दिनांक 26.12.18 को सह अभियुक्त सी0ए0 नितेश मिश्रा के साथ मिल कर शिकायतकर्ता द्वारा बल पूर्वक प्राप्त किये गये त्यागपत्रों को आरओसी वेबसाइट पर अपलोड करने में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। आवेदक अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता की कम्पनी मेसर्स एम0जे0 इन्फ्रा लैण्ड एलएलपी से सम्बन्धित सप्लीमेन्टल एग्रीमेंट पर बतौर साक्षी के दिनांक 26.12.18 को हस्ताक्षर किये गये थे जबकि इसको दिनांक 5.11.2018 को निष्पादित होना दिखाया गया है, इस एग्रीमेंट को भी आरओसी की वेबसाइड पर अपलोड किया गया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार मोहित जायसवाल से इस फर्म से दिनांक 15.11.2018 को तथा आरती जायसवाल द्वारा दिनांक 22.11.2018 को त्यागपत्र देना दिखाया गया है। साथ ही सह अभियुक्तगण मो0 फारूख व जकी अहमद को इनकमिंग पार्टनर दिखाया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह सप्लीमेंटल एग्रीमेंट 5.11.2018 को निष्पादित होना दिखाया गया है और जिन नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर इसे निष्पादित होना दिखाया गया है, उक्त स्टैम्प पेपर दिनांक 22.11.18 को ही विक्रीत हुए थे। इन तथ्यों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेखों व सम्बन्धित स्टाम्प वेंडरो के बयानों से होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त सप्लीमेंटल एग्रीमेंट दिनांक 5.11.18 को नहीं बनाया गया था और फर्जी है। अभियुक्त अतीक अहमद के निर्देश पर ही उक्त फर्जी सप्लीमेंटल एग्रीमेंट के माध्यम से शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल की उक्त फर्म से उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया और मो0 फारूख व जकी अहमद को निदेशक बना दिया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त एग्रीमेंट पर दिनांक 26.12.18 को हस्ताक्षर किये गये उस पर जानबूझ कर उसने दिनांक नहीं अंकित किया और उसको 5.11.18 को निष्पादित

होना दिखाया। शिकायतकर्ता और उसकी बहन से उनकी फर्म को जबरदस्ती स्थानान्तरित कर दिया गया था, इस तथ्य को छिपाने के लिए पहले वादी की कम्पनी एम.जे. इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0 लि0 के खाते से अभियुक्तगण पवन कुमार सिंह, आवेदक योगेश कुमार तथा कम्पनी के कर्मचारी सद्वराम सृजन बाजपेयी के खातो के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित किये गये और उसके उपरांत उपरोक्त तीनों खातों से सह अभियुक्त मो0 फारूख के खाते में धनराशि का अन्तरण हुआ है। उसके उपरांत अभियुक्त मो0 फारूख के खाते से रू0 6,87,500/– मोहित जायसवाल के खाते में और रू0 6,00,000/–आरती जायसवाल के खाते में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिनांक 29.12.2018 को अन्तरित किये गये है।

आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष द्वारा बहस करते हुए तर्क देते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त शिकायतकर्ता का कर्मचारी था। उसके खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर मात्र यह आरोप है कि उसने दिनांक 26.12.18 के बाद कम्पनी के खाते से पैसा निकाल था। आपराधिक षडयंत्र में सम्मिलित होने का कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा उसके विरूद्व प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को लगाये गये आरोप से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके प्रतिउत्तर में सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियेाजक का मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त, जो शिकायतकर्ता का कर्मचारी रहा है, ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ षडयंत्र करते हुए वादी मुकदमा व उसकी बहन को उनकी 4 फर्मो से बेदखल करके उन फर्मो का पूर्ण स्वामित्व अन्य सह अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम अन्तरित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्व ारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये

जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

इस प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त की यह भूमिका रही है कि यद्यपि कि वह शिकायतकर्ता का कर्मचारी था परन्तु उसने सह अभियुक्तों के साथ षडयंत्र में सम्मिलित होकर वादी मुकदमा व उसकी बहन को उनकी चार फर्मो से बेदखल करने व उसका स्वामित्व सह अभियुक्तों मो0 फारूख व जकी अहमद के नाम करने में तथा सह अभियुक्त सी0ए0 नितेश मिश्रा के साथ मिल कर शिकायतकर्ता से प्राप्त त्यागपत्रों को आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। आवेदक अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता की कम्पनी मेसर्स एम0जे0इन्फ्रा लैण्ड एलएलपी से सम्बन्धित सप्लीमेन्टर एग्रीमेंट पर बतौर साक्षी दिनांक 26.12.18 को हस्ताक्षर किये थे किन्तु उसके द्वरा जानबूझ कर उस पर हस्ताक्षर करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया था जबकि इस दस्तावेज को दिनांक 5.11.18 को निष्पादित होना दिखाया गया था तथा इस दस्तावेज को भी आरओसी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस सम्बन्ध में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य संकलित करते हुए सी0बी0आई0 द्वारा विवेचनोंपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्व ारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त योगेश कुमार द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–42 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:45:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court